बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि0सं0–भवन / 10–आरोप(द0बि0)–52 / 2019.....9645(7)..... पटना, दिनांक– 9/10/20

सकारण आदेश

भवन प्रमंडल, गर्दनीबाग अन्तर्गत निविदा आमंत्रण संख्या–09 / 2013–14 में जमा की गयी अग्रिम जमानत की राशि ₹1,06,300 / –को संवेदक श्री अशोक कुमार राय को कार्यपालक अभियंता द्वारा वापस नहीं किये जाने के कारण संवेदक श्री राय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–1013 / 2017 दायर किया गया। उक्त वाद में एल0पी0ए0 संख्या–1664 / 2017 अशोक कुमार राय बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के संबंध में दिनांक–23.03.2018 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश "After hearing learned counsel for the parties, we find that the order in question was passed on-31.10.2017 by the writ court and the direction was that the State should get the Quarter vacated from illegal possession of the anti social elements and hand over the same to the petitioner within a period of four weeks and if they are unable to do so they will return the amount of earnest money with interest @ 10 per annum. After the order was passed on-31.10.2017 more than six months have passed and today we are informed that the position as it was at the time of filing of writ petition is same.

Keeping in view the aforesaid facts, we allow the appeal and direct that the amount of earnest money of ₹1,06,300/-shall be returned back to the petitioner with interest @ 10% per annum within a period of 02 months from today. In case the aforesaid amount of the appellant is not returned back within a period of two months the interest shall be 18% per annum." का अनुपालन श्री सुधाकर कुमार, कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना द्वारा नही किये जाने के कारण वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अवमाननावाद संख्या–1544 / 2019 दायर किया गया है। उक्त वाद में श्री कुमार द्वारा कारण पृच्छा दायर करने के क्रम में गलत तथ्यों को पेश किया गया। जिसके कारण विभाग को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। साथ हीं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण ब्याज की राशि में हुई बढ़ोतरी के कारण वित्तीय हानि भी हुई। जिसके लिए श्री कुमार को दोषी मानते हुए "असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक" का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लेते हुए विभागीय पत्रांक–7688(भ0) दिनांक–26.08.2019 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

2. श्री कुमार द्वारा उनके पत्रांक–2023 दिनांक–04.09.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विभागीय समीक्षोपरान्त उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में ऐसा कोई तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि वे निर्दोष साबित हो सके।

3. अतः उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए श्री सुधाकर कुमार, कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना के विरूद्ध गैर जिम्मेदाराना एवं कर्त्तव्यहीनता के कृत्य के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (iii) एवं 14 (v) के तहत निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया है :–

i. **सूद के रूप में भुगतान की गयी राशि ₹1,02,895 / –(एक लाख, दो हजार, आठ सौ, पनचानवे) मात्र की वसूली श्री कुमार के वेतन से की जायेगी,**

ii. **असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।**

4. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री कुमार के पत्रांक–शून्य दिनांक–15.07.2026 द्वारा लगभग छः (06) वर्षो के बाद पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–24 एवं 25 अपील / पुनर्विलोकन की आदेश की प्रति अपीलार्थी को दे दिये जाने की तिथि से 45 दिनों के अन्दर किया जाना है। परन्तु अपीलार्थी को समय पर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण है, तो वह उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा।"**

कृ0पृ0उ0

5. श्री सुधाकर कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना द्वारा विलम्ब से अपील/पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया है तथा विलम्ब के संबंध में इनके द्वारा कोई कारण का उल्लेख नहीं किया गया है।

6. अतएव श्री सुधाकर कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को सम्यक् समीक्षोपरान्त अस्वीकृत किया जाता है।

7. प्रस्ताव में समक्ष प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(मृदुला कुमारी)
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/10–आरोप(द0बि0)–52/2019.....9645(M)...../ पटना, दिनांक– 9/10/16

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ई0–गजट कोषांग, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/10–आरोप(द0बि0)–52/2019.....9645(M)...../ पटना, दिनांक– 9/10/16

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग/संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमंडल/सभी उप सचिव/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/10–आरोप(द0बि0)–52/2019.....9645(M)...../ पटना, दिनांक– 9/10/16

प्रतिलिपिः–श्री सुधाकर कुमार, कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना, पता–राजेन्द्र नगर, रोड नं0–13सी0, पो0–राजेन्द्र नगर, थाना–बहादुरपुर, जिला–पटना–16, मो0नं0–9431426676 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/10–आरोप(द0बि0)–52/2019.....9645(M)...../ पटना, दिनांक– 9/10/16

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/10–आरोप(द0बि0)–52/2019.....9645(M)...../ पटना, दिनांक– 9/10/16

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।